भारत में लोकमत का महत्व

डॉ. सुनीता त्रिपाठी
प्राध्यापक - राजनीति विज्ञान
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

लोकतंत्र का आधार लोकमत या जनता की इच्छा है। सच्चा लोकतंत्रत्मक शासन वही है, जहां सरकारी नीति और नेतृत्व लोकमत के अनुरूप और अनुकूल बनता और बिगड़ता रहता है। लोकमत किसी लोकतंत्रात्मक शासन की नाड़ी Pluse कहा जा सकता है। लोकतंत्रात्मक सरकार इस बात का ध्यान रखती है कि उसके द्वारा किये गये कार्यों के विषय में जनता की क्या धारणा हैं? इतिहास साक्षी है, कि जहां-जहां भी शासकों, सम्राटों, सरकारों और प्रधानमंत्रियों ने सबल एवं प्रबल लोकमत से टक्कर लेने की कोशिश की वही क्रांतियों का अध्याय लिखा गया है।

लोकमत की परिभाषा - लोकमत से अभिप्राय समाज में प्रचलित उन विचारों या निर्णयों से, जो लगभग निचित है, जिनमें स्थिरता है और जो समाज के एक बड़े वर्ग के लोगों में समान रूप से स्थिर होते हैं। लोकमत सार्वजनिक समस्या से जोड़ा हुआ प्रश्न है। यह साधारण जनता के मूल में होता है। किसी अभिजन वर्ग या कुछ व्यक्तियों का नही। लोकमत वह शक्ति है, जो किसी निरीह शोषित, गरीब और उत्पीड़ीत समुदाय का समय आने पर विद्रोह का ध्वजवाहक और क्रांति का उद्घोषक बना देती है। लोकमत की परिभाषा और हमारे जीवन में लोकमत के महत्व पर अनेक विद्वानों ने अपने-अपने विचार प्रकट किये हैं, जो इस प्रकार हैं - ए.ओ. ह्यूम ने लिखा है कि- 'सभी सरकारें चाहें व कितनी ही दूषित क्यों न हो, अपनी शक्ति के लिए लोकमत पर निर्भर करती है।'[1]

लोकमत की उपमा एक ऐसे रास से की है जो सोया रहता है, किन्तु जब जागता है, तो अच्छे से अच्छे शासन को उलट सकता है। प्रबल लोकमत के वेग से क्रांतियों के वेग से क्रांतियों का उदय होता है और निरंकुश शासक का तख्ता पलट दिया जाता है।

लोकतंत्र में लोकमत जनता व सरकार के मध्य विचारों में सामंजस्य स्थापित करने की एक कड़ी है। लोकतंत्र लोकमत की नींव पर टिका होता है। यदि लोकतंत्र में लोकमत निर्वाचित प्रतिनिधियों के विपक्ष में हो जाए तो अगले निर्वाचन में वह शासन का रूप ही बदल सकता है।[2]

लोकमत के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को शासन का आधार बनाकर पृथ्वी पर कभी कोई शासन नहीं कर सका है'। आधुनिक लोकतंत्रीय राज्यों में लोकमत के महत्व के कारण ही प्रचार के विभिन्न साधनों पर अत्याधिक ध्यान दिया जाता है। जिससे जनता के राजनीतिक विचारों का निर्माण एवं निर्देशन किया जा सके। ''हम समझते हैं कि जब सरकारी नौकरियों या सार्वजनिक पढ़ो पर नियुक्तियों का प्रश्न विचाराधीन हो बुद्धिमता इसी में है कि जनमत को पूरी तरह ध्यान में रखा जाए क्योंकि जब जनता जागरूक होती है, तो वह कोई गलती नहीं होने देगी और क्षम्य भी होगी। जहां जनता जागरूक या सर्तक वहां किसी प्रकार की धांधली नहीं हो सकती है।''[3]

लोकमत की व्याख्या मार्क्सवादी अपने ढंग से करते हैं। उनके तर्क के अनुसार वे राजसता अर्थात राज्य को शासक वर्ग के हाथ ही कठपुतली मानते हैं उनका सिद्धान्त है कि किसी भी राजनीतिक, सामाजिक ढांचे की बुनियाद वर्ग-संघर्ष पर टिकी होती है। अतः पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपतियों या उनके प्रभाव में आए हुए लोगों के विचारों को ही लोकमत के रूप में मान्यता दी जाती है। इस का एक कारण यह भी है कि पूंजीवाद में शिक्षा के संस्थानों जन संचार के माध्यमों (प्रेस, रेडियो, टेलीविजन आदि) और सांस्कृति सुविधाओं पर पूंजीपति वर्ग अपना अधिकार जमा लेते हैं साध नही और शोषित वर्ग को आत्माभिव्यक्ति के साधन उपलब्ध नहीं होते। हर देश या काल में व सिद्धान्त प्रचलित रहते हैं। हमारी चेतना को आंदोलित करते रहते हैं। इन सब को उस देश और काल के प्रसंग अनुसार लोकमत कहा जाता है।

प्राध्यापक राजनीति वि.वि. लोकमत का उद्‌गम व्यक्तिगत इकाईयों के आधार पर होता है। किसी व्यक्ति के विचारों का निर्माण उसके जन्मजात, गुण-दोषों सामाजिक परिस्थितियों, निजी योग्यताओं, सफलताओं-विफलताओं और आशाओं-कुठाओं के आधार पर होता है, व्यक्ति का बौद्धिक विकास और जीवकोपार्जन के साधनों पर निर्भर है। इसलिए आवश्यक है कि प्रचार ऐसे ढंग से किया जाए तो विभिन्न रूचियों और स्वभाव रखने वाले व्यक्तियों को अपनी और आकर्षित कर सके। जनमत निर्माण के लिए प्रचार सफल होता है जो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रूचि और पसंद को संतुष्ठ करें। यही कारण है कि राजनीतिक दल (Party) चुनाव के समय अपने चुनावी घोषणा पत्र में देश के प्रत्येक नागरिक को पक्ष करने के लिए विभिन्न तहर के लोक लुभावन वचन देती है।[4]

लोकमत में होने वाले परिवर्तनों ने भारत देश में 1977 और 1980 में दो बार केवल तीन साल के अन्तर में दो चमत्कार दिखाए। 1977 के आम चुनावों इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी की जबरदस्त हार कारण सशक्त लोकतत ही था। आपातकालीन नीतियों की वजह से जनता में उनके विरोध और असंतोश की लहर दौड़ी हुई थी। 1966-1977 तक पूरे 11 वर्ष तक सत्ता की बागडोर कांग्रेस के हाथ में रही उसी को जनता ने मताधिकार का प्रयोग कर अपदस्थ कर दिया और सम्पूर्ण उत्तर भारत में कांग्रेस पार्टी का सुफड़ा साफ हो गया। इसके केवल तीन साल बाद 1980 की स्थिति आ गई जब मतदाताओं ने जतना पार्टी को दंडितकर दिया क्योंकि इसके नेताओं ने निजी महत्वकाक्षाओं के लिए मतदाताओं से विवासघात किया था। श्रीमती इंदिरा गांधी फिर प्रधानमंत्री बन गई। दूसरे शब्दों 1977-1980 में लोकमत ने दो क्रांतियों को सफल किया था। 1984 में राजीव गांधी को विशाल और व्यापक लोकमत प्राप्त हुआ। 1984 राजीव गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए निर्वाचित हुए। 2014 के लोकसभा चुनाव में दस वर्ष से शासन की सत्ता संभाल रही न सरकार को अपदस्थ करने में लोकमत का प्रत्यक्ष हाथ रहा था। वर्तमान राजस्थान में हुए उपचुनावों में (धोलपुर विधानसभा, अलवर एवं अजमेर लोकसभा क्षेत्र) कांग्रेस जीत के पीछे लोकमत ही था। दिसम्बर 2017 में मणिपुर, गुजरात, हिमाचल प्रदेश आदि चुनाव लोकमत को ही प्रदर्शित करते हैं। मार्च 2018 में गोरखपुर का चुनाव भी इसका ही उदाहरण है।

लोकतंत्र में लोकमत के अभाव में कुछ संभव नहीं है, इससे जनता अपना प्रत्यक्ष विचार सरकारों के समक्ष प्रकट करती हैं। मार्च 2018 में रूस राष्ट्रपति व्लदामिर पुतिन का राजतिलक प्रतीक है। जब-जब जिसने लोकमत के विरोध में कार्य किये हैं, उसे चुनाव में असफलता प्राप्त हुई है।

"लोकमत के नाम या कानून द्वारा सभापति व्यवस्था के आधार पर जनसाधारण से एक विशेष स्तर के व्यवहार और आचरण की अपेक्षा की जाती है। व्यवहार के यह मापदंड या तो स्वयं जनता तय करती है या समाज का सत्ताधारी वर्ग अपने प्रभाव से काम लेती है और उसका फैसला सम्बद्ध वर्गों की पसन्द और नापसन्द पर ही होता है।"[5]

लोकमत की विशेषताएं -

- लेकमत समाज के मौलिक घटकों (व्यक्तियों) की प्रतिक्रियाओं का प्रस्तुतिकरण है।
- प्रचार के लिए आवश्यक है कि लोकमत लिखित अथवा मौखिक रूप या प्रतीकों द्वारा व्यक्त हो।
- जिस प्रश्न या समस्या पर जनमत का अध्ययन अपेक्षित है, वह इतना स्पष्ट और प्रत्यक्ष होना चाहिए कि सम्बद्ध वर्ग अथवा जनसमुदाय उसका अस्तित्व तुरन्त स्वीकार कर लें। उदाहरणार्थ - टैक्सों के बोझ को तो सभी मानते है। लेकिन यह विषय इतना स्पष्ट नहीं, इसके विपरीत बिक्री या अल्प विशेष टैक्स हटाया जाना चाहिए या उसमें कटौती वृद्धि होनी चाहिए, इस पर जो प्रतिक्रिया प्रकट होती है, वह लोकमत की परिधि में आती है।
- लोकमत का रूप तभी स्पष्ट और ठोस होता है जब जन समुदाय किसी प्रस्ताव को 'हाँ' या 'ना' द्वारा स्वीकार करे या ठुकरा दे। नशाबंदी के प्रश्न को लीजिए। वैसे तो सभी कोई मानते हैं कि मदिरा पान के दुष्परिणाम क्या होते हैं, तो भी यही कहना पड़ता है कि प्रश्न पर हमारे देश में लोकमत पर्याप्त संगठित नहीं हुआ है क्योंकि नशाबंदी को लागू करने के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं किये जा रहें। इसके विपरीत परिस्थिति ऐसी हो गई कि मदिरापान को प्रोत्साहन मिल रहा है इसलिए यह कहना पड़ेगा कि नशाबंदी के लिए का लोकमत तैयार नहीं है।[6]

वर्तमान में लोकमत निर्माण के साधन हैं -

मतदान, रेडियो, टी.वी., समाचार व प्रेस, पत्र-पत्रिकायें, फेस-बुक, ट्विटर, वाह्टस्प, इस्टाग्राम, अन्य इन्टरनेट एवं तकनीकि साधन है। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में पक्ष-विपक्ष के समर्थकों या इसके विरोधियों की तुलनात्मक गिनती को निर्णायक माना जाता है, इसलिए यह विश्वास बन गया है कि जिस पक्ष को बहुमत का समर्थन प्राप्त हो जाता है, किन्तु इतिहास साक्षी है कि समाज में जितने भी बड़े-बड़े निर्णय हुए या क्रांतियां हुई, उनके प्रवर्तक बहुत थोड़े लोग थे। इसका लोकमत के विश्लेषण में यह अवश्य देखा जाता है, कि अपनी बात को मनवाने के लिए व्यक्ति या समुदाय की भावना कितनी प्रबल, गहरी, सशक्त अथवा सक्षम है। यदि इसके लिए कोई आंदोलन या संघर्ष करना पड़े तो उसके लिए वह कहां तक तैयार है। यही कारण है कि संगठन और चेतना के अभाव में अनेक बार समाज सुधार के लिए उठाये गये कदम महत्वपूर्ण भी धरे के धरे रह जाते हैं।

भारत में अस्पृश्यता निवारण कानून लागू है। किसी के साथ छुआछूत का बर्ताव करना अपराध घोषित किया जा चुका है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। फिर भी विश्वासपूर्वक नहीं कह सकते है कि अस्पृश्यता के अभिशाप से भारतीय समाज सर्वथा मुक्त हो चुका है। जब हम देखते है कि प्रायः सव भारतीय छुआछूत को जड़ से मिटाना चाहते है, तो यह विडम्बना भी दिखाई देती है कि लोकमत इतना अनुकूल होते हुए भी हम इस कुरीति को पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाएं है।

लोकमत में प्रभावोत्पादकता के लिए यह आवश्यक है किसी मांग की पेश करने वाले पर्याप्त संख्या में होने चाहिए। इसके साथ-साथ वह अपनी मांग को पूरी करने के लिए उचित और अपेक्षित आंदोलन करने के लिए किसी संगठन, दल का होना आवश्यक है। कोई भी दल नेता या नेताओं के बिना स्थापित या खड़े नही हो

सकता है। क्योंकि प्रभाव रखने के लिए सुयोग्य व्यक्ति किसी कार्यक्रम को सफल बना सकते है। नेताओं में सामंजस्य होना चाहिए तभी लोकमत को प्रभावित किया जा सकता है।[7]

राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी द्वारा लोकमत का निर्माण : भारतीय लोकमत के विशेष संदर्भ में -

महात्मा गांधी ने भारत का ही नहीं पूरे विश्व का लोकमत हासिल किया और यही बात है कि आज भी बापू को पूरे विश्व में अहिंसा के पुजारी व आदर्श जननेता के रूप में पूजा जाता है। इस पृष्ठभूमि में लोकमत निर्माण कला के सिद्धान्तों के क्रियात्मक प्रयोग भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपनाए गए प्रचार साधनों के विलेशण से आसानी से समझा जा सकता है। गांधीजी और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आदि महान नेताओं ने राष्ट्रीय संग्राम के लिए जनता का आह्वान किया। वे लोक सम्पर्क शासन के विशेषज्ञ तो नहीं थे और न ही लोक सम्पर्क इनका व्यवसाय या पेशा था।

भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन का उल्लेख लोकमत के संदर्भ करें तो अप्रसांगिक नहीं होगा। भारत को अंग्रेजों से मुक्त करना बापू के जीवन का मुख्य लक्ष्य था। गांधीजी का विश्वास था कि जब तक देश ब्रिटिश साम्राज्य की दासता से मुक्त नहीं होता, तब तक देश का राजनीतिक और सामाजिक विकास अवरूद रहेगा। गांधीजी ने लोकमत के निर्माण के लिए तीन साधनों का प्रयोग किया - सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह।

गांधीजी ने अहिंसा और सत्य के आद्र्शों के अनुसार सामूहिक एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह और रचनात्मक सेवाओं को राष्ट्र जागरण कार्यक्रम से जोड़ा।

गांधीजी के लोकमत के दौरान कार्यक्रमों में निम्नांकित आंदोलनों को प्रमुख स्थान दिया गया है, यथा-असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन।

गांधीजी ने अन्त में करो या मरो का नारा दिया था। यह नारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की उस बैठक में दिया था जिसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। बापू ने नारे ही नहीं दिये अपितु तिरंगा झंडा भी देश को दिया जो स्वतंत्रता के प्रति हमारी निष्ठा का प्रतीक बन गया। राष्ट्रीय ध्वज को अपना लेने पश्चात हमारा स्वतंत्रता आन्दोलन स्पष्ट और सुनिश्चित रूप धारण कर गया। बापू ने खादी और चरखे को भारतीय ग्रामों के पुर्नजागरण और पुनरूद्धार का प्रतीक बन गया। राष्ट्रीय ध्वज को अपना लेने पश्चात् हमारा स्वतंत्ता आन्दोलन स्पष्ट और सुनिश्चित रूप धारण कर गया। बापू ने खादी और चरखे को भारतीय ग्रामों के पुर्नजागरण और पुनरूद्धार का प्रतीक बनाया। गांधीजी की टोपी और खादी का परिधान स्वतंत्रता समर का सिपाही होने की निशानी बन गया। गांधीजी की टोपी और खादीधारी हर व्यक्ति को बापू के आदर्शों का प्रचारक और संदेशवाहक माना जाता था।[8]

सन्दर्भ

1. डॉ. नीलीमा पाठक 'आधुनिक भारत का इतिहास' साहित्य पब्लिकेशन आगरा
2. Political Novels and the idea of America
3. द हिन्दू विश्व
4. गेटल Intordliction to Political Concept
5. मैकाइयावली The Princes Italy
6. जे एस मिल On liberty बी एल फड़िया राजनीतिक विचारक
7. लोकमत पत्रिका, उत्तरप्रदेश
8. भारतीय राजनीतिक विचारक, पुखराज जैन